इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 508] भोपाल, गुरुवार दिनांक 7 नवम्बर 2013—कार्तिक 16, शक 1935

विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्र. 127-स्था.-निर्वा.-2002-757.—निर्वाचन पर्यवेक्षक (इलेक्शन सुपरवाईजर) के संबंध में सेवा भर्ती नियम में संशोधन बाबत् विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा परिमार्जित टीप दिनांक 29 सितम्बर 2013 द्वारा प्रस्तावित अधिसूचना का परिमार्जन प्रकाशित किये जाने हेतु की गई अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

व्ही. एल. कान्ताराव, सचिव.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निर्वाचन पर्यवेक्षक सेवा (तृतीय श्रेणी) भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निर्वाचन पर्यवेक्षक सेवा (तृतीय श्रेणी) भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2013 है.

(2) ये नियम, मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध मे ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी;

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है, अनुसूची तीन के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनने वाली चयन समिति;

(ग) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ङ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(च) ''चयन प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, अनुसूची तीन के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट कलक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी या उप जिला निर्वाचन अधिकारी;

(छ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निर्वाचन पर्यवेक्षक (तृतीय श्रेणी भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2013;

(ज) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी, अर्थात्:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए व्यक्ति हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उनसे संलग्न वेतनमान अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे:

परन्तु सरकार, समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित किए गए पदों की संख्या में या तो स्थायी आधार पर या अस्थायी आधार पर वृद्धि कर सकेगी या उनमें कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) संवर्ग में सेवा के 5 वर्ष पूर्ण कर लेने वाले सहायक ग्रेड-2/लेखापाल जो राजस्व विभाग से संबंधित हों और कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के कार्यालय में पदस्थ हों;

(ख) यदि राजस्व विभाग से कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो तो जिला स्तर के कार्यालयों के अन्य विभागों के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा लिए जाएंगे.

(2) अनुसूची एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्मचारियों की संख्या जो ऊपर उप नियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के उपबंधों के अनुसार चयनित किए गए हैं किसी भी दशा में अनुसूची दो में दर्शाई गई संख्या से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सेवा में किसी ऐसी रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर चयन प्राधिकारी द्वार अवधारित की जाएगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति की जाएगी.

(4) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व अनुमति से उक्त उप नियम में यथाविनिर्दिष्ट तरीकों से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगा जैसे वह इस निमित्त जारी आदेश द्वारा विहित करें.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और कोई भी नियुक्ति नियम 6 में यथाविनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके का चयन करने के पश्चात् की जाएगी अन्यथा नहीं.

8. **चयन/नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें.**—कर्मचारी को चयन/नियुक्ति के लिय पात्र होने हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी; अर्थात् :—

(क) वह राजस्व विभाग के कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसील कार्यालय में सहायक ग्रेड 2/लेखापाल के संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी होना चाहिए;

(ख) यदि कलेक्टर/उपखण्ड/तहसील कार्यालय का कर्मचारी उपलब्ध न हो तो जिला स्तर के कार्यालयों के अन्य विभागों के ऐसे कर्मचारी जो सहायक ग्रेड 2/लेखापाल के रूप में कार्यरत हैं चयन के लिये पात्र होंगे.

9. **निरर्हता.**—किसी कर्मचारी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त किया गया कोई भी समर्थन ऐसे कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन/नियुक्ति के लिए निरर्ह कर देगा.

10. **नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**—पात्रता या नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी भी व्यक्ति को चयन/पदस्थापना हेतु पात्र नहीं समझा जाएगा जिसका नाम पैनल में सम्मिलित नहीं है. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्वाचन पर्यवेक्षकों की अनुमोदित सूची जिला स्तर पर संधारित की जाएगी. चयनित कर्मचारी का नाम तद्नुसार पैतृक विभाग की कार्यालय पदक्रम सूची में भी रहेगा. निर्वाचन पर्यवेक्षक की नियुक्ति या पदच्युति के पूर्व में मुख्य निर्वाचन अधिकारी का अनुमोदन अनिवार्य होगा.

11. **चयन प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**—चयन, चयन समिति से अभिप्राप्त सूची में से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा. आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा.

(2) ऐसा अभ्यर्थी जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है को चयन का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी की वह उचित समझे यह समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी का सेवा के लिये चयन उचित है.

(3) यदि किसी अभ्यर्थी के जिसका नाम चयन सूची में है, कोई गम्भीर दुराचरण किया है या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई चूक की है तो नियुक्ति प्राधिकारी, चयन प्राधिकारी की पहल पर चयन सूची का पुनर्विलोकन कर सकेगा और यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे उत्तरदायित्वों से हटा देगा.

12. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां, उसी क्रम में की जाएंगी जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में आए हों:

परन्तु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण ऐसा करना उचित है वहां कोई व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी रिक्ति तीन माह से अधिक चलने की संभावना नहीं है.

13. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा.

14. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिसके कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिस पर ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई भी मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

16. **निरसन.**—इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार उपबंधित किए गए आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

सेवा में सम्मिलित पद का नाम (1)	पदों की संख्या स्थायी/अस्थायी (2)	वर्गीकरण (3)	वेतनमान (4)	अभ्युक्ति (5)
निर्वाचन पर्यवेक्षक	50 (प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु एक-एक)	तृतीय श्रेणी	9300—34800+ ग्रेड पे 3200/-	

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

विभाग का नाम (1)	सेवा का नाम (2)	पदों की कुल संख्या (3)	भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता (राजस्व विभाग या अन्य विभाग में से कार्यरत कर्मचारियों से चयन द्वारा) (4)	अभ्युक्ति (5)
विधि विभाग	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी निर्वाचन पर्यवेक्षक	50 (प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु एक-एक)	100 प्रतिशत	राजस्व विभाग में यदि कर्मचारी उपलब्ध न हों तो अन्य जिला स्तरीय विभाग में समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारियों में से चयन द्वारा.

अनुसूची-तीन

विभाग का नाम (1)	उस पद का नाम जिसके लिये चयन किया जाना हो (2)	पद नाम जिस पर चयन किया जाना हो. (3)	कॉलम क्रमांक (2) में दर्शित पदों पर सेवा के वर्षों की संख्या (4)	पैनल/चयन सूची भेजने हेतु चयन समिति के प्राधिकारी/सदस्य (5)
विधि विभाग	जिले का राजस्व विभाग या अन्य विभाग के सहायक ग्रेड-2/लेखापाल	निर्वाचन पर्यवेक्षक	5 वर्ष का अनुभव	कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

In exercise of the powers conferred by the provisio to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of the Election Observer Service (Class III), namely :—

RULES

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh, Election Supervisor (Class III Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2013.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Chief Electoral Officer;

(b) "Committee" means the Selection Committee consisting of the members as specified in columm (5) of Schedule III.

(c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(d) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(e) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(f) "Selection Authority" means a Collector or District Election Officer of Deputy District Election Officer as specified in column (5) of Schedule III;

(g) "Service" means the Madhya Pradesh Election Supervisor (Class III Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2013.

(h) "State" means the state of Madhya Pradesh.

3. **Scope and application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service.**—The service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay, etc.**—The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Schedule I :

Provided that the Government, may from time to time, add to or reduce the numbers of posts included in the service either in permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.**—(1) Recruitment to the service, after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:—

(a) Assistant Grade-II/Accountant who belong to the Revenue Department and are posted in office of Collector/Sub-Divisional Magistrate/Tehsildar, who have completed 5 years of service in the cadre.

(b) If the employee from Revenue Department is not available, then the employee from the other departments of the district level offices shall be taken by transfer on deputation.

(2) The number of employees specified in Schedule I, who are selected as per the provisions of clause (a) or (b) of sub-rule (1) above, shall not exceed in number in any case as shown in Schedule II.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Selection Authority and shall be appointed by the Appointing Authority.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may, with the prior concurrence of the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the service.**—All appointments to the service after commencement to these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment as specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for selection/appointment.**—To be eligible for selection/appointment an employee has to fulfil the following conditions, namely:—

(a) He must be an employee of cadre of Assistant Grade-II/Accountant working in the office of Collector/ Sub-Division/Tehsil of the Revenue Department;

(b) If the employee of the office of Collector/Sub-Division/Tehsil is unavailable, then the employee of other department of district level office who is working as Assistant Grade-II/Accountant shall be eligible for selection.

9. **Disqualification.**—Any attempt on the part of any employee to obtain favour for his candidature by any unfair means, such employee shall be disqualified for selection/appointment by the Appointing Authority.

10. **The decision of the Appointing Authority shall be final.**—The decision of the Appointing Authority regarding the eligibility or selection shall be final and any such person shall not be considered for selection/posting who is not included in the panel. The list approved by the Appointing Authority of the election observer shall be maintained at a district level, the name of the selected employee shall also remain in the gradation list office parent department accordingly. Before appointment or termination of the Election Obeserver, the approval of the Chief Electroral Officer shalll be mandatory.

11. **The list of candidates recommended by the Selection Authority.**—(1) The selection shall be approved by the Appointing Authority from the list obtained from the Selection Authority, the order shall be issued by the Appointing Authority.

(2) The candidate whose name is included in the selection list shall not have any right for selection, unless the Appointing Authority after an enquiry, which it may think proper, if the Appointing Authority is satisfied that the services of the candidate for selection is proper.

(3) If any severe misconduct or mistake in discharge of duties is committed by the employee who is in the select list, the appointing authority may review the select list on the initiation of selection authority and if it thinks proper, such person shall be removed from his responsibilities.

12. **Appointment to the Service from the Select List.**—Appointments of the employees included in the Select List to the posts borne on the cadre of the Service shall follow the order in which the names of such officers appear in the Selection List:

Provided that where administrative exigencies so require, a person whose name in not included in the Selection List may be appointed to the Service, if the Appointing Authority is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

13. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

14. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whim these rules apply in such manner as it may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt within any manner less favourable to him than that provided in these rules.

15. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect the reservation and other conditions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

SCHEDULE-I
(See rule 5)

Name of post included in the service (1)	Number of posts permanent/ temporary (2)	Classification (3)	Pay Scale (4)	Remarks (5)
Election Supervisor	50 (One each for every District Election Office)	Class-III	Rs. 9300-34800+3200 Grade Pay	

SCHEDULE-II
(See rule 6)

Name of the Department	Name of Service	Total number of posts	Percentage of post to be filled (Selection from the employees working in the Revenue Department or other Departments)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Law (Election) Department	Madhya Pradesh Class-III Election Supervisor	50 (One each for every District Election Office)	100%	If the employees are not available in the Revenue Department, then through selection of the employees working on the equivalent posts in other departments of district-level.

SCHEDULE-III
(See rule 8)

Name of the Department	Name of the posts for which to be selected	Designation on which to be selected	Number of years on posts as shown in column (2)	Penel/Authority/ member of selection committee for sending selection list
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Law (Election) Department	Assistant Grade-II/ Accountant-II in the Revenue Department of district or other Departments	Election Supervisor	5 years experience	Collector and District Election Officer and Deputy District Election Officer.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एल. कान्ताराव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.